**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, ई–1, सै0–1, नोएडा।**

**पत्राँकः 2191 /35–1 , गौतमबुद्धनगर, दिनाँक 18 नवम्बर, 2023।**

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–630/2023, आनन्द आर्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.10.2023।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–630/2023, आनन्द आर्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 13.10.2023 के अनुपालन में स्टे्टस रिपोर्ट संलग्नकों सहित आपकी सेवा में प्रेषित है।

अतः अनुरोध है कि कृपया स्टे्टस रिपोर्ट को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष अग्रेत्तर निर्देशार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

**संलग्नकः**– यथोपरि।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

**पत्रांक / , दिनांकित**

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक ईको विकास/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्रधिकरण, लखनऊ।
3. श्री भंवरपाल सिंह जादौन, एडवोकेट, 121, न्यू लॉयर चैम्बर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

**पत्रांक / , दिनांकित**

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, मेरठ।
3. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

**Status report in O.A. No. 630/2023 Anand Arya V/s Union of India & Ors. in compliance of order dated 13.10.2023 Submitted by Divisional Forest Officer, Gautambudh nagar.**

महोदय,

जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत यमुना एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा के स्वामित्व एवं अधिसूचित क्षेत्र में स्थित धनौरी आर्द्रभूमि स्थल है। क्षेत्र में विकासात्मक योजना के लिये राज्य भागीदारों के सहयोग से नागरिक हित, वैज्ञानिकों, स्थानीय संस्थाओं जैसे पंचायतों का एक संयोजन धनौरी के संरक्षण के लिये लम्बे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है। धनौरी वेटलैंड 03 गाँवों की भूमि भूमि पर अवस्थित है। धनौरी खुर्द गौतमबुद्धनगर जिले में ठसराना और बुलन्दशहर जिले में अमीपुर बांगर क्षेत्रों से मिलकर बना हैं यद्यपि जलग्रहण क्षेत्र में तीनों गाँवों की भूमि शामिल है (28° 20'0 N 77° 36'30 E and 28° 20'30 N 77° 37'30 E)। लेकिन जल निकाय में केवल दो ठसारना और अमीपुर बांगर से भूमि शामिल है। इसमें शामिल सामुदायिक भूमि लगभग 4.243 हेक्टेयर (ठसराना –1.572 हेक्टेयर और अमीपुर बांगार –2.671 हेक्टेयर) धनौरी वेटलैण्ड का क्षेत्रफल जल निकाय 46.35 हेक्टेयर व बफर जोन एरिया 66.54 हेक्टेयर कुल 112.89 हेक्टेयर है। अधिकांश वेटलैण्ड क्षेत्र निजी कृषि भूमि है जिसे फसल उगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है शेष ज्यादातर भूमि पानी से घिरी नहीं है गूगल अर्थ वेटलैण्ड की वास्तविक स्थिति को दर्शाती है। यह आर्द्रभूमि सारस क्रेन सहित हजारों प्रवासी पक्षियों की पंसन्दीदा जगह है।

प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर (प्रतिवादी संख्या–8) द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्र संख्या F.No J-22012/23/2014-CS(W) दिनॉक 28/29–5–2019 के अनुपालन में आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबन्धन) नियम 2017 में विर्निष्ट नियमों का अनुपालन करते हुये धनौरी आद्रभूमि को रामसर स्थल घोषित करने हेतु प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ प्रेषित किया गया हैं।

धनौरी वेटलैण्ड की भूमि का स्वामित्व यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा एवं अधिसूचित क्षेत्र व निजी कृषि भूमि की स्थिति में है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा द्वारा अपने पत्रांक–वाई0ई0ए0/85/2022, दिनांक 08.09.2022 द्वारा प्रेषित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि यमुना प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम में ड्राफ्ट महायोजना–2041 में दर्शाये गये प्रस्ताव के अनुसार ही धनौरी वेटलैण्ड/रामसर साईट घोषित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाये। कुल जल निकाय 46.35 हेक्टेयर व बफर जोन एरिया 66.54 हेक्टेयर कुल 112.89 हेक्टेयर में से लगभग 25.00 हेक्टेयर भूमि यमुना प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है। तत्क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्वनगर द्वारा किये गये विभिन्न पत्राचारों **(संलग्नक–1 पृष्ठ सं0–1 से 22 तक)** के (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा एवं सक्षम स्तर) द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में उक्त प्रस्ताव सक्षम स्तर के माध्यम से उच्च स्तर को प्रेषित किया गया

प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण करते हुए पुनः प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रॉक 6150/35–5 दिनॉक 05–04–2023 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ को प्रेषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्रांक–1691/35–5, दिनांक 16–10–2023 द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा को प्राधिकरण के स्वामित्व (25.0 हेक्टेयर) के अतिरिक्त शेष भूमि जो ग्रामिणों के स्वामित्व एवं प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत है, इसका अधिग्रहण करने की कार्यवाही हेतु पत्राचार किया गया है।

सक्षम स्तर को भेजे गये पत्रों के आलोक में सदस्य सचिव (उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ) द्वारा कार्यालय पत्रांक–85/A/26–11(UPSWA)–27/2019, दिनांक 20–10–2023 द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ **(संलग्नक–2)** को सम्बोधित है तथा प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ तथा वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर

नोएडा सिटी, जनपद गौतमबुद्धनगर को पृष्ठांकित है, जिसमें धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित कराने हेतु प्रस्तावक विभाग की स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है, पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि.......

- वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित कराये जाने की स्थिति में यह भी निर्णय लिया जाना होगा कि किस विभाग/स्टेकहोल्डर द्वारा इसका प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जायेगी। उचित होगा कि प्रश्नगत प्रकरण में धनौरी वेटलैण्ड में यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्टेकहोल्डर के रूप में महत्तम भूमि सम्मिलित है। अतः धनरौरी वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित कराने हेतु प्रस्तावक विभाग के रूप में नामित करने पर विचार किया जा सकता है।
- तदोपरान्त धनौरी वेटलैण्ड के समेकित प्रबन्धन के लिये राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग/यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित ग्राम सभाओं/ समस्त स्टेकहोल्डर्स के साथ प्रस्तावक विभाग के नेतृत्व में संयुक्त बैठक कराकर बैठक में लिये गये निर्णय की स्थिति के अनुसार प्रश्नगत वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना विधिसम्मत एवं समीचीन होगा।

अतः रामसर साइट घोषित कराने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा RSIS को Compile कराकर रामसर प्रस्ताव अपलोड करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वेटलैण्ट डिवीजन, भारत सरकार से प्रस्तावक विभाग को ऑनलाइन अकाउण्ट खोलने हेतु यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड निर्गत करने की कार्यवाही हो सके। उक्त कार्यवाही शासन, उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा सिटी, जनपद गौतमबुद्धनगर के स्तर पर प्रचलित है। सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रचलित कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित करने की कार्यवाही हो सकेगी।

**संलग्नकः यथोपरि**

प्रभागीय वनाधिकारी,<br>
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,<br>
गौतमबुद्धनगर।

संलग्नक 1/22



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्वनगर वन प्रभाग गौतमबुद्वनगर।
पत्रॉक 3644/35–5 दिनॉक गौतमबुद्वनगर 21 फरवरी, 2022।

सेवा मे,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा।

विषयः– धनौरी वेटलैण्ड (ग्रेटर नोएडा, उ0प्र0) को रामसर साईट घोषित किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक 3357/35–5 दिनांक 29–01–2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम मे अवगत कराना है कि धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साईट घोषित करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया है।

चूँकि धनौरी वेटलैण्ड का क्षेत्र यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत है। अतः उक्त प्रस्ताव महोदय की सेवा में अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त प्रस्ताव का परीक्षण करने कृपा करें। प्रस्ताव में यदि कोई आपत्ति/सुझाव वांछित हो तो कृपया तद्नुसार इस कार्यालय को अवगत कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें ताकि अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

**संलग्नक–उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्वनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

**पत्रांक 3644/ दिनांकित।**

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय गौतमबुद्धनगर/अध्यक्ष जिला वेटलैण्ड समिति की सेवा में सादर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्वनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

2/22

# यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, ब्लाक पी-2, सै0-ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा, सिटी-201308 जनपद-गौतम बुद्ध नगर (उ0प्र0)

पत्रांक-वाई.ई.ए./Plng/1177/2022
दिनांक- 09-06-2022

सेवा में,

प्रभागीय वन अधिकारी
जिला-गौतमबुद्ध नगर
ई-01, सैक्टर-01, नौएडा।

विषयः- धनौरी वेटलैण्ड के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रभागीय वन अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्रांक-4944/355/गौतमबुद्ध नगर दिनांक-06/05/2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। पत्र में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साईट/पक्षी विहार घोषित किये जाने के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। प्रकरण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत हैः-

- धनौरी वेटलैण्ड के अन्तर्गत राजस्व ग्राम-धनौरी, ग्राम-ठसराना एवं ग्राम-अमीपुर की भूमि पड़ती है। सन्दर्भित वेटलैण्ड यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जनपद-गौतमबुद्ध नगर व बुलन्दशहर के अधिसूचित क्षेत्र हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा अनुमोदित महायोजना-2031 के सैक्टर-16 के अन्तर्गत पड़ता है। महायोजना-2031 के अनुसार सन्दर्भित धनौरी वेटलैण्ड का क्षेत्र 16.89 हैक्टेयर है तथा इस वेटलैण्ड के चारों ओर लगभग 38.80 हैक्टेयर क्षेत्र ग्रीनबेल्ट के रूप में नियोजित है।
- उल्लेखनीय है कि महायोजना के अनुसार सैक्टर-16 का भू-उपयोग आवासीय, रिक्रेशनल ग्रीन तथा ग्रीन/पार्क है। प्राधिकरण द्वारा सैक्टर-16 के आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत आवासीय भूखण्डों का नियोजन कर स्कीम के माध्यम से भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है।
- वन विभाग द्वारा धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साईट घोषित कराने हेतु उ0प्र0 शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साईट घोषित के प्रस्ताव के साथ संलग्न मानचित्र मे दर्शायी गयी धनौरी वेटलैण्ड की बाउन्ड्री को सैक्टर-16 के सैक्टर ले-आउट व टेन्टेटिव सूपरइम्पोज किया गया। जिससे संज्ञान में आया कि वन विभाग द्वारा प्रस्तावित धनौरी वेटलैण्ड की बाउन्ड्री से सैक्टर-16 में नियोजित व आवंटित आवासीय भूखण्ड प्रभावित हो रहे है। जिस कारण वन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में रामसर साईट हेतु दर्शित बाउन्ड्री पर अनापत्ति प्रदान नही की जा सकती है।
- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा परामर्शदाता संस्था MaRS Planning & Engineering Services Pvt. Ltd. द्वारा जनपद-गौतमबुद्ध नगर व बुलन्दशहर के अधिसूचित क्षेत्र की महायोजना-2041 तैयार करायी जा रही है। परामर्शदाता संस्था द्वारा महायोजना-2041 का प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ धनौरी वेटलैण्ड के सम्बन्ध में भी प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के समय प्राधिकरण बोर्ड द्वारा धनौरी वेटलैण्ड के सम्बन्ध में संस्था को पुनः परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। परामर्शदाता संस्था द्वारा धनौरी वेटलैण्ड का परीक्षण सैक्टर-16 के अन्तर्गत आवंटित भूखण्डों, सैक्टर-16 के तलपट मानचित्र में सर्वे के आधार पर धनौरी वेटलैण्ड हेतु प्रदर्शित क्षेत्र, महायोजना-2031 में धनौरी वेटलैण्ड हेतु

3/22

रिपोर्ट/आख्या उपलब्ध करायी गयी है। परामर्शदाता संस्था द्वारा धनौरी वेटलैण्ड का कुल क्षेत्रफल–46.35 हैक्टेयर दर्शाया गया है तथा धनौरी वेटलैण्ड के चारों तरफ बफर जोन के रूप में लगभग 66.54 हैक्टेयर एरिया (वैटलैण्ड व बफर जोन एरिया 112.89 हैक्टेयर) प्रदर्शित किया गया है। कुल वैटलैण्ड व बफर जोन एरिया 112.89 हैक्टेयर में से लगभग 25 हैक्टेयर भूमि प्राधिकरण की अधिग्रहित भूमि है। जिसके अधिग्रहण में प्राधिकरण द्वारा व्यय किया गया है।

परामर्शदाता संस्था द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इस आशय के साथ संलग्न है कि उक्त रिपोर्ट के अनुसार ही धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साईट घोषित कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

9.6.22

(डा0 अरुणवीर सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर 4/22
पत्रॉक 5566/35.5 दिनॉक गौतमबुद्धनगर 9-6 2022।

सेवा में,

श्री सुरेश बाबू,
डब्लू0डब्लू0एफ0
Pirojsha Godrej Building, 172 B,
Lodhi Rd, Lodhi Estate,
New Delhi, Delhi 110003

विषयः— धनौरी वेटलैण्ड (ग्रेटर नोएडा उ0प्र0) को रामसर साईट घोषित किये जाने एवं नोटीफाईड किये जाने के संबधं में।

संदर्भः— 1 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्त मंत्रालय भारत सरकार की पत्र संख्या F.No. J-22012/23/2014-CS दिनांक 28/29—05—2019
2. अपर प्रधान मुख्य व संरक्षक वन्य जीव उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 137/26—11 दिनांक 13—06—2019
3. वन संरक्षक मेरठ वृत्त मेरठ का पत्रांक 4480/14—1 दिनांक 24—06—2019
4. इस कार्यालय का पत्रांक 2022/35—5 दिनांक 17—11—2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराय गया था कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्त मंत्रालय भारत सरकार की पत्र संख्या F.No. J-22012/23/2014-CS दिनांक 28/29—05—2019 द्वारा वेटलैण्ड बायोडायवर्सिटी एवं पक्षी जात वि. विधिकरण सम्बन्धी अध्ययन आख्या एवं वेटलैण्ड में पक्षियों की गणना की रिपोर्ट मानको को पूर्ण करने की दशा में प्रश्नगत वेटलैण्ड को रामसर साईट घोषित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे।

इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि इस कर्यालय के पत्रांक 4944/35—5 दिनांक 06—05—2022 द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा से प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साईट/पक्षी विहार घोषित किये जाने के संबंध में अन. ापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था। मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्रांक वाई.ई.ए./1177/2022 दिनांक 09—06—2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराया है।

अतः मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा के उक्त पत्र की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया धनौरी वेटलैण्ड को अधिसूचित करने तथा रामसार साईट के प्रस्ताव को संशोधित कर अवगत कराने की कृपा करे ताकि अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

पत्रॉक 5566 / दिनॉक्ति।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा के पत्रांक वाई.ई.ए./1177/2022 दिनांक 09—06—2022 की प्रति मय संलग्नको के सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 मेरठ।
3. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 मेरठ वृत्त, मेरठ।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

D:\VAN VIBHAG\VRIANDRA KUMAR\C.F.MEERUT p 380

संशोधित 5|22

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर।

पत्रॉक 992/35–5 दिनॉक गौतमबुद्धनगर 4 अगस्त, 2022।

सेवा मे,

वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी ,मेरठ वृत्त,मेरठ।

विषयः— धनौरी वेटलैण्ड (ग्रेटर नोएडा, उ0प्र0) को रामसर साईट घोषित किये जाने के संबंध में।

संदर्भः— 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ का पत्रांक 137/26–11(यू0पी0एस0डब्लू0ए0)–06/2019 दिनां 13–06–2019

2. आपके कार्यालय के पत्रांक 4480/14–1 दिनांक 24–06–2019
3. इस कार्यालय का पत्रांक 3357/35–5 दिनांक 29–01–2022
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण का पत्रांक वाई.ई.ए./1177/2022 दिनांक 09–06–2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें। संदर्भित पत्र द्वारा धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साईट घोषित करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे।

प्राप्त निर्देशो के अनुपालन में डब्लू0डब्लू0 एफ0 की सहायता से धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साईट घोषित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया था। संशाधित प्रस्ताव तैयार कर महोदय की सेवा में अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त प्रस्ताव को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव/ सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ को अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रेषित करने की कृपा करें। महोदय अनुमोदन प्राप्त होने पर प्रकरण को रामसर साईट पर लॉगिन किया जायेगा।

**संलग्नक–उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 992/ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ
2. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र मेरठ।

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 992/ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
2. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर/अध्यक्ष जिला वेटलैण्ड समिति।

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

6|22

# यमुना एक्सप्रेसवे औधोगिक विकास प्राधिकरण

FUTURE IS HERE

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, पी–2, सैक्टर–ओमेगा–1, ग्रेटर नोएडा, जनपद–गौतम बुद्ध नगर (उ0प्र0)

पत्रांक/वाई0ई0ए0/Plng/85 /2022

दिनांक– 08-09-2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्ध नगर वन प्रभाग
गौतमबुद्ध नगर।

विषयः–**यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सैक्टर–16 में स्थित धनौरी जल निकाय के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में कार्यालय प्रभागीय वन अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्रांक–4944/355/गौतमबुद्ध नगर दिनांक–06/05/2022 तथा पत्रांक–882/32–5 दिनांक–04.08. 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें पत्र दिनांक–06.05.2022 के क्रम में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यालय प्रभागीय वन अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को प्राधिकरण द्वारा पत्रांक–वाई.ई.ए./Plng/1177/2022 दिनांक–09.06.2022 प्रेषित किया गया। अवगत कराना है कि धनौरी जल निकाय को वैटलैण्ड घोषित कराने सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक में संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया (प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत एजेण्डा व कार्यवृत्त संलग्न)। जिसके कम संचालक मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय निम्नवत है–

**"संचालक मण्डल द्वारा विचारोपरान्त इस संशोधन के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि धनौरी जल निकाय को केवल वैटलैण्ड के रूप में ही घोषित करने की एन0ओ0सी0 प्रदान की जाये।"**

उल्लेखनीय है कि परामर्शदाता संस्था द्वारा ड्राफ्ट महायोजना–2041 की रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी है जिसमें धनौरी जल निकाय का कुल क्षेत्रफल–46.35 हैक्टेयर दर्शाया गया है तथा धनौरी जल निकाय के चारों तरफ बफर जोन के रूप में लगभग 66.54 हैक्टेयर एरिया (जल निकाय व बफर जोन एरिया 112.89 हैक्टेयर) प्रदर्शित किया गया है। कुल जल निकाय व बफर जोन एरिया 112.89 हैक्टेयर में से लगभग 25 हैक्टेयर भूमि प्राधिकरण की अधिग्रहित भूमि है। जिसके अधिग्रहण में प्राधिकरण द्वारा व्यय किया गया है।

प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के कम में ड्राफ्ट महायोजना–2041 में दर्शाये गये प्रस्ताव अनुसार ही धनौरी जल निकाय को मात्र वैटलैण्ड घोषित कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

7.9.22

(डा0 अरूणवीर सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

PA
12/09/2022

7/22

मद संख्या (74/28) : **यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सैक्टर–18 में स्थित धनौरी जल निकाय के सम्बन्ध में।**

निर्णय : संचालक मण्डल द्वारा विचारोपरान्त इस संशोधन के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि धनौरी जल निकाय को केवल वैटलैण्ड के रूप में ही घोषित करने की एन0ओ0सी0 प्रदान की जाये।

मद संख्या (74/29) : **यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की टप्पल–बाजना अर्बन सेन्टर की महायोजना के अन्तर्गत लॉजिस्टिक पार्क के विकास तथा नगर पंचायत टप्पल से सम्बंधित प्रकरण के सम्बन्ध में।**

निर्णय : लॉजिस्टिक पार्क के कंसलटेन्ट M/s. Deloitte Touche Tohmatsu India LLP द्वारा परियोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया तथा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित लॉजिस्टिक क्षेत्र के 03 उपभाग हैं, स्थल पर उपभाग "बी" एवं "सी" अतिक्रमित है। अतः भाग "ए" में लॉजिस्टिक पार्क की परियोजना प्रस्तावित की गई है। इस सम्बन्ध में संचालक मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया कि परियोजना के पार्ट "बी" एवं "सी" से अतिक्रमण हटाकर भविष्य में लॉजिस्टिक पार्क फैज–2 की योजना लाई जाये। तद्क्रम में संचालक मण्डल द्वारा परियोजना की डी0पी0आर0 अनुमोदित की गई तथा निर्देशित किया गया कि परामर्शदाता संस्था से परियोजना की आर0एफ0पी0 डाक्युमेन्ट एवं कंशैसन एग्रीमेन्ट तैयार करवाकर तद्नुसार उत्तर प्रदेश शासन की पी0पी0पी0 गाईडलाईन्स् में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाये।

मद संख्या (74/30) : **प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत फिल्म सिटी से नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट तक Personalized Rapid Transit (PRT) के सम्बन्ध में।**

निर्णय : संचालक मण्डल द्वारा परियोजना की डी0पी0आर0 अनुमोदित की गई तथा निर्देशित किया गया कि परामर्शदाता संस्था से परियोजना की आर0एफ0पी0 डाक्युमेन्ट एवं कंशैसन एग्रीमेन्ट तैयार करवाकर तद्नुसार उत्तर प्रदेश शासन की पी0पी0पी0 गाईडलाईन्स् में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाये।

मद संख्या (74/31) : **नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट तक एयरपोर्ट मैट्रो परियोजना के सम्बन्ध में।**

CHAIRMAN'S INITIALS

अरविन्द कुमार
अध्यक्ष
यमुना एक्सप्रेसवे औद्यो० वि० प्राधिकरण

डा० ए० वी० सिंह
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यमुना एक्सप्रेसवे औद्यो० वि० प्राधिकरण

8/22

| | | |
|---|---|---|
| निर्णय | : | संचालक मण्डल द्वारा नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट से नॉलेज पार्क–2 तक की डी0पी0आर0 अनुमोदित की गई। नॉलेज पार्क–2 से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक की डी0पी0आर0 सलाहकार संस्था दिल्ली मैट्रो रेल कॉरपोरेशन से तैयार करने के निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि इस एलॉइनमेंन्ट में पडने वाले वर्तमान मैट्रो ट्रेक यथा नॉलेज पार्क–2 से नौएडा सैक्टर–142 के एवं अशोक नगर से नई दिल्ली तक बने मैट्रो ट्रेक को प्रस्तावित मैट्रो लाईन से इन्टीग्रेट करने के सम्बन्ध में भी अध्ययन कर लिया जाये जिससे परियोजना की कुल लागत में कमी की जा सके। |
| **मद संख्या (74/32)** | **:** | **यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जनपद गौतमबुद्ध नगर व बुलन्दशहर के अधिसूचित क्षेत्र की ड्राफ्ट महायोजना 2041 के अनुमोदन के सम्बन्ध में।** |
| निर्णय | : | संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |

(डा0 अरूण वीर सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

डा० ए० वी० सिंह
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यमुना एक्सप्रेसवे औद्यो० वि० प्राधिकरण

(अरविन्द कुमार)
अध्यक्ष

अरविन्द कुमार
अध्यक्ष
यमुना एक्सप्रेसवे औद्यो० वि० प्राधिकरण



CHAIR
INIT

9|21

मद संख्या–74/28 : **यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सैक्टर–16 में स्थित धनौरी जल निकाय के सम्बन्ध में।**

1. प्रभागीय वन अधिकारी, गौतमबुद्व नगर के पत्रांक–4944/355/गौतमबुद्व नगर दिनांक–06/05/2022 **(संलग्नक–01)** में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साईट तथा पक्षी विहार घोषित किये जाने के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। जिसके कम में प्राधिकरण द्वारा पत्रांक–वाई.ई.ए./Plng/1177/2022 दिनांक–09.06.2022 **(संलग्नक–02)** के माध्यम से धनौरी जल निकाय को मात्र वैटलैण्ड **(रामसर साईट)** घोषित कराने हेतु ही पत्र प्रेषित किया गया। प्रकरण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत हैः–

- धनौरी जल निकाय के अन्तर्गत राजस्व ग्राम–धनौरी, ग्राम–ठसराना एवं ग्राम–अमीपुर की भूमि पड़ती है। सन्दर्भित जल निकाय यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जनपद–गौतमबुद्व नगर व बुलन्दशहर के अधिसूचित क्षेत्र हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा अनुमोदित महायोजना–2031 के सैक्टर–16 के अन्तर्गत पडता है। महायोजना–2031 के अनुसार सन्दर्भित धनौरी जल निकाय का क्षेत्र 16.89 हैक्टेयर है तथा इस जल निकाय के चारों ओर लगभग 38.80 हैक्टेयर क्षेत्र ग्रीनबेल्ट के रूप में नियोजित है।
- उल्लेखनीय है कि महायोजना के अनुसार सैक्टर–16 का भू–उपयोग आवासीय, रिक्रेशनल ग्रीन तथा ग्रीन/पार्क है। प्राधिकरण द्वारा सैक्टर–16 के आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत आवासीय भूखण्डों का नियोजन कर स्कीम के माध्यम से भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है।
- वन विभाग द्वारा धनौरी जल निकाय को रामसर साईट घोषित कराने हेतु उ0प्र0 शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। धनौरी जल निकाय को रामसर साईट घोषित के प्रस्ताव के साथ संलग्न मानचित्र मे दर्शायी गयी धनौरी जल निकाय की बाउन्ड्री को सैक्टर–16 के सैक्टर ले–आउट व टेन्टेटिव सूपरइम्पोज किया गया। जिससे संज्ञान में आया कि वन विभाग द्वारा प्रस्तावित धनौरी जल निकाय की बाउन्ड्री से सैक्टर–16 में नियोजित व आवंटित आवासीय भूखण्ड प्रभावित हो रहे है। जिसके कम में परामर्शदाता संस्था MaRS Planning & Engineering Services Pvt. Ltd. द्वारा धनौरी जल निकाय का परीक्षण सैक्टर–16 के अन्तर्गत आवंटित भूखण्डों, सैक्टर–16 के तलपट मानचित्र में सर्वे के आधार पर धनौरी जल निकाय हेतु प्रदर्शित क्षेत्र, महायोजना–2031 में धनौरी जल निकाय हेतु प्रदर्शित क्षेत्र तथा वन विभाग द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के सापेक्ष करते हुये धनौरी जल निकाय के सम्बन्ध में रिपोर्ट/आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

10/22

परामर्शदाता संस्था द्वारा धनौरी जल निकाय का कुल क्षेत्रफल–46.35 हैक्टेयर दर्शाया गया है तथा धनौरी जल निकाय के चारों तरफ बफर जोन के रूप में लगभग 66.54 हैक्टेयर एरिया (जल निकाय व बफर जोन एरिया 112.89 हैक्टेयर) प्रदर्शित किया गया है। साथ ही संस्था द्वारा उल्लेखित किया गया है कि उक्त एरिया को महायोजना–2041 में सम्मिलित किया जायेगा। कुल जल निकाय व बफर जोन एरिया 112.89 हैक्टेयर में से लगभग 25 हैक्टेयर भूमि प्राधिकरण की अधिग्रहित भूमि है। जिसके अधिग्रहण में प्राधिकरण द्वारा व्यय किया गया है।

2. धनौरी वैटलैण्ड के सम्बन्ध में परामर्शदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्र के अनुसार (धनौरी जल निकाय क्षेत्रफल–46.35 हैक्टेयर तथा धनौरी जल निकाय के चारों तरफ बफर जोन के रूप में लगभग 66.54 हैक्टेयर एरिया इस प्रकार कुल 112.89 हैक्टेयर क्षेत्र) धनौरी जल निकाय को मात्र वेटलैण्ड **(रामसर साईट) घोषित** कराये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रेषित की जा सकती है। **पक्षी विहार/बर्ड सेन्चुरी घोषित कराने से सैक्टर–16, सैक्टर–17 व सैक्टर–18 इत्यादि में हो रहे विकास कार्य भी प्रभावित होने की सम्भावना है। जिसके दृष्टिगत इसे बर्ड सेन्चुरी घोषित नहीं कराया जा सकता है।**

3. तदानुसार धनौरी जल निकाय क्षेत्रफल–46.35 हैक्टेयर तथा धनौरी जल निकाय के चारों तरफ बफर जोन के रूप में लगभग 66.54 हैक्टेयर एरिया (जल निकाय व बफर जोन एरिया 112.89 हैक्टेयर) को परामर्शदाता संस्था द्वारा ड्राफ्ट महायोजना –2041 में समायोजित करते हुये रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी है। धनौरी जल निकाय को वैटलैण्ड **(रामसर साईट)** घोषित कराने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

........................................................................................................

Wetlands boundary has been derived as the outer envelope of the maximum area under inundation, the area covered by hydrophytes, or saturation of soil near the surface during a normal monsoon year (for at least 15 days, or the soil is saturated roughly within one foot from the surface). It may be pertinent to exclude areas that are only intermittently inundated in the case of high floods (such as one in 100-year floods) or extreme events (such as storm surges of extreme intensity).

**Delineation of the wetland's zone of influence**

For each wetland to be notified, a zone of influence is to be defined. The zone of influence of a wetland is an area, developmental activities wherein are likely to induce adverse changes in wetland ecosystem structure and (ecological) functioning.

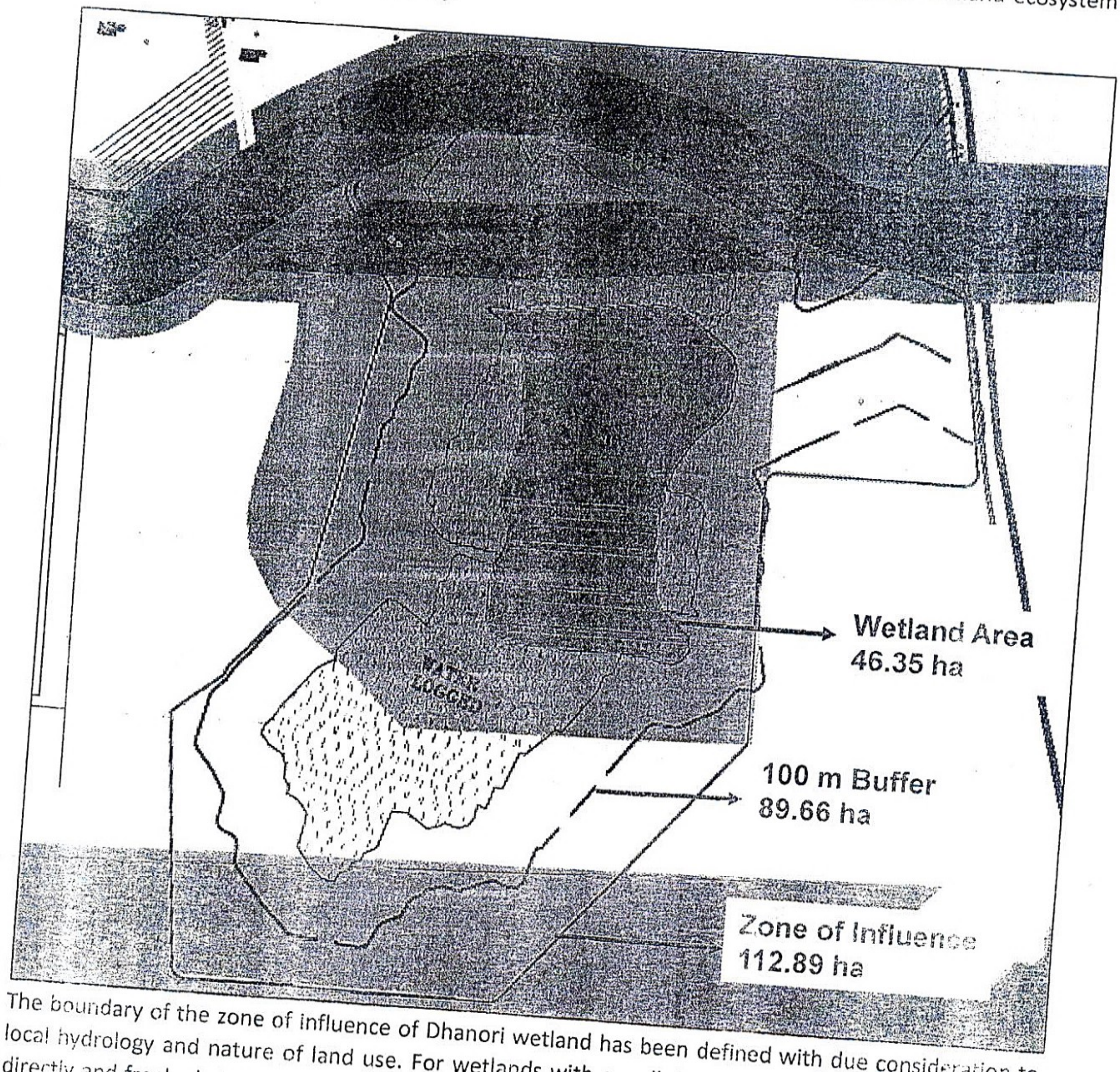


The boundary of the zone of influence of Dhanori wetland has been defined with due consideration to local hydrology and nature of land use. For wetlands with a well-defined surface drainage system, its directly and freely draining basin should be delineated as the zone of influence. The catchment area of

12/22

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रसंख्या– 17 /26–11(UPSWA)–27/2019 लखनऊः दिनांकः सितम्बर 2022

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी,
मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

विषयः धनौरी वेटलैण्ड (ग्रेटर नोएडा), उ0प्र0 को रामसर साइट घोषित किए जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपका कार्यालय पत्रांक–577/14–1, दिनांक 04.08.2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करनो का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–F.No. 6-22012/23/2014-CS(W), दिनांक 28/29–05–2019 के सन्दर्भगत इस कार्यालय के पत्र संख्या–137/26–11(UPSWA)–27/2019, दिनांक 13.06.2019 द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा धनौरी वेटलैण्ड (ग्रेटर नोएडा), उ0प्र0 को रामसर साइट घोषित करने हेतु डब्ल्यू0डब्ल्यू0एफ0 की सहायता से प्रेषित संशोधित प्रस्ताव को संलग्न कर उक्त का अनुमोदन करने के लिए अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रेषित प्रस्ताव का अनुशीलन इस कार्यालय स्तर पर किया गया तथा स्थिति निम्नानुसार पायी गयी–

1. प्रस्ताव के पैरा 2.2.4–Area of the Site शीर्षक अन्तर्गत प्रश्नगत वेटलैण्ड की Water spread area: 46.352 Ha; Catchment/Zone of influence: 112.865 ha अंकित की गयी है, परन्तु उक्त के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेखों के अनुसार जलभराव क्षेत्र, जलसंग्रह व उसके प्रभाव क्षेत्र में पडने वाली भूमि के स्वामित्व का राजस्व अभिलेखों के अनुसार विवरण संलग्न नही किया गया है। उक्त विवरण के अनुसार राजस्व विभाग से Cadastral Map तैयार कराकर रामसर साइट प्रस्तावित किए जाने वाले धनौरी वेटलैण्ड, का 1:4000 स्केल पर मानचित्र भी संलग्न किया जाना चाहिए।
2. प्रस्ताव के पैरा 3.1–Ramsar Criteria and their justification के Criterion 2: Rare species and threatened ecological communitis, Criterion 4: Support during critical life cyle stage or in adverse conditions, Criterion 5: >20,000 waterbirds एवं Criterion 6: >1% waerbird population के अन्तर्गत उद्धृत विवरण के समर्थन में कोई अभिलेखीय साक्ष्य संलग्न नही किए गए हैं।
3. प्रस्ताव के पैरा 4.2–What wetland type(s) are in the site के अन्तर्गत Inland wetlands (wetland type(s) कॉलम में Ts: Seasonal/intermittent freshwater marshes/pools on inoganic soils अंकित करते हुए वेटलैण्ड क्षेत्रफल 151.78 हे0 बताया गया है, जबकि प्रस्ताव के पैरा 2.2.4–Area of the Site शीर्षक अन्तर्गत प्रश्नगत वेटलैण्ड की Water spread area: 46.352 Ha; Catchment/Zone of influence: 112.865 ha अंकित की गयी है। इस प्रकार प्रस्तावित वेटलैण्ड की एरिया भ्रमपूर्ण है।
4. प्रस्ताव के पैरा 4.4–Physical components के अन्तर्गत 4.4.1: Climate, 4.4.6: Water pH, 4.4.7: Water salinity आदि के सम्बन्ध में प्रदर्शित आंकड़ों के साक्ष्य संलग्न नही किए गए हैं।
5. प्रस्ताव के पैरा 4.4.9–Features of the surrounding area which may affect the Site के अन्तर्गत धनौरी वेटलैण्ड के सम्पूर्ण कैचमेंट क्षेत्र 112.87 हे0 अंकित किया गया है तथा स्पष्ट किया गया है कि उक्त कैचमेंट क्षेत्र में महत्तम भू–उपयोग कृषि, खुली/बंजर भूमि एवं दलदली क्षेत्र का है। उक्त के सम्बन्ध में कृपया जलभराव क्षेत्र, जलसंग्रह व उसके प्रभाव क्षेत्र में पड़ने वाली भूमि के स्वामित्व का राजस्व अभिलेखों के अनुसार विवरण व मानचित्र संलग्न नही किया गया है।

13/22

6. प्रस्ताव के साथ संलग्न यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का पत्र संख्या–वाई.ई.ए. /plng/1177/2022, दिनांक 09.06.2022 द्वारा धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साइट/पक्षी विहार घोषित किए जाने के सम्बन्ध में प्रेषित कतिपय अनापत्ति प्रमाण पत्र अस्पष्ट है। उक्त रिपोर्ट यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के परामर्शदाता संस्था द्वारा उन्हें उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के अनुसार धनौरी वेटलैण्ड का कुल क्षेत्रफल 46.35 हे0 दर्शाया गया है तथा धनौरी वेटलैण्ड के चारो तरफ बफर जोन के रूप में लगभग 66.54 हे0 एरिया (वेटलैण्ड व बफर जोन एरिया 112.89 हे0) प्रदर्शित है। कुल वेटलैण्ड व बफर जोन एरिया 112.89 हे0 में से लगभग 25 हे0 भूमि प्राधिकरण की अधिग्रहित भूमि बतायी गयी है, जिसके अधिग्रहण में प्राधिकरण द्वारा व्यय कथित व्यय किए जाने का भी उल्लेख है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार ही धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही कराने का लेख किया गया है।

इस प्रकार यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भी प्रस्तावित धनौरी वेटलैण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत 25 हे0 क्षेत्र सम्मिलित होने तथा उक्त का भू–उपयोग आवासीय रिक्रेशनल ग्रीन तथा ग्रीन/पार्क के रूप में होने का उल्लेख करते हुए आवासी भू–खण्डों का नियोजन कर विभिन्न स्कीम के माध्यम से भू–खण्डों का आवंटन किए जाने का उल्लेख करते हुए नियोजित व आवंटित आवासीय भू–खण्डों के प्रभावित होने के कारण वन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में रामसर साइट हेतु दर्शित बाउड्री पर अनापत्ति प्रदान नही की जा सकती है, का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

प्रश्नगत रामसर साइट के प्रबन्धन हेतु संस्थागत व्यवस्था का उल्लेख प्रस्ताव में नही किया गया है। उक्त हेतु प्रस्ताव में उत्तरदायी नोडल विभाग/अधिकारी के नामांकन का प्रस्ताव साइट मैनेजमेंट डे–टू–डे बेसिस पर करने हेतु प्राविधानित नहीं किया गया है। कृपया प्रस्तावित रामसर साइट के भू–स्वामित्व की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्तरदायी नोडल विभाग/अधिकारी का प्रस्ताव किया जाये।

प्रश्नगत सन्दर्भ में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वेटलैण्ड डिवजीन), भारत सरकार के ई–मेल पत्र दिनांक 30.08.2022, जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित है, के द्वारा पत्र के साथ संलग्न, ***Identifying and Managing Wetlands of International Importance*** एवं धनौरी वेटलैण्ड के सम्बन्ध में दिए गए पूर्व निर्देश व संगत पत्रों की प्रतियां तथा ***Memorandum of Understanding (MoU)*** Between ***The Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India*** And ***The State Government*** की प्रति आदि संलग्न कर प्रेषित करते हुए उक्त ***MoU*** पर राज्य सरकार की सहमति के हस्ताक्षर कराते हुए धनौरी वेटलैण्ड को रामसर घोषित करने के सम्बन्ध में यथोचित प्रस्ताव मंत्रालय को भेजने की अपेक्षा की गयी है।

विषयक प्रकरण में यह भी उल्लेख करना समीचीन है कि आपके कार्यालय के पत्रांक–2810/14–1, दिनांक 03.02.2022 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के सन्दर्भ में प्रश्नगत धनौरी वेटलैण्ड से आच्छादित समस्त भूमि के सन्दर्भ में भू–स्वामित्व का सारांश सहित क्षेत्रफल विवरण 1:4000 के मानचित्र पर अंकित करते हुए, जिसमें वेटलैण्ड के समस्त इनलेट्स/आउटलेट्स स्पष्ट रूप से अंकित हों, को उपलब्ध कराने हेतु भी निर्देशित किया गया परन्तु सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नही किया गया है।

कृपया प्रस्तावित रामसर स्थल को मानचित्र पर स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए इसमें सम्मिलित समस्त भू–भाग/जलमग्न भूमि का अलग–अलग स्वामित्व भी इण्डेक्स के माध्यम से दर्शाया जाये। इसी प्रकार प्रस्तावित रामसर स्थल के जोन ऑफ इन्फ्लूएन्स में सम्मिलित भू–भाग को भी मानचित्र पर स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए उसमें सम्मिलित भूमि का स्वामित्व भी इण्डेक्स के माध्यम से दर्शाया जाये।

10. प्रस्ताव के पैरा 2.1–Formal data शीर्षक के अन्तर्गत 2.1.1: Name and address of the compiler of this RIS में Compiler name, Pramod Kumar Divisional Forest Officer, Noida अंकित है, जबकि नोएडा के स्थान पर गौतमबुद्धनगर अंकित किया जाना उचित एवं समीचीन है।

14/22

11 उपरोक्त के अतिरिक्त धनौरी वेटलैण्ड को पक्षी विहार घोषित कराए जाने के सम्बन्ध में वेटलैण्ड डायवर्सिटी एवं पक्षी जात विविधीकरण सम्बन्धी अध्ययन आख्या, वेटलैण्ड के पक्षियों की गणना रिपोर्ट सहित वन संरक्षण अधिनियम, 1927 के प्राविधानों के अन्तर्गत सुस्पष्ट एवं सुविचारित आख्या प्राप्त करते हुए वांछित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु आपको इस कार्यालय के पत्रांक–7/26–11 (UPSWA)–27/2019, दिनांक 09.07.2021 द्वारा भी निर्देशित किया गया था तथा पक्षी विहार को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र (Protected Area) घोषित कराएं जाने का प्रस्ताव किए जाने की दशा में प्रस्तावित क्षेत्र में शामिल भूमि के स्वामित्व को दृष्टिगत रखते हुए भी मन्तव्य देने का भी निर्देश दिया गया था, परन्तु उक्त के सन्दर्भ में भी अब तक आप द्वारा कोई आख्या प्रेषित नही की गयी है।

अतः आपके सन्दर्भित पत्र दिनांक 04.08.2022 द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम मे निर्देश दिए जाते है कि विषयक प्रकरण में उपरोक्तानुसार उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण कराते हुए ***Memorandum of Understanding (MoU)*** Between ***The Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India*** And ***The State Government*** के प्रारूप में वांछित सूचना का समावेश कराते हुए सम्पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित कराने का कष्ट करें तथा धनौरी वेटलैण्ड को पक्षी विहार घोषित कराए जाने के सम्बन्ध में वेटलैण्ड डायवर्सिटी एवं पक्षी जात विविधीकरण सम्बन्धी अध्ययन आख्या, वेटलैण्ड के पक्षियों की गणना रिपोर्ट सहित वन संरक्षण अधिनियम, 1927 के प्राविधानों के अन्तर्गत सुस्पष्ट एवं सुविचारित आख्या भी प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नीरज कुमार)
मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव
उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्र संख्या– 17 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, मेरठ।
2. श्री रघु कुमार कोडली, साइंटिस्ट एफ/डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वेटलैण्ड डिवजीन), भारत सरकार को उनके ई–मेल पत्र दिनांक 30.08.2022 के क्रम में।
3. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर/अध्यक्ष, जिला वेटलैण्ड समिति।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर प्रभाग, गौतमबुद्धनगर।

(नीरज कुमार)
मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव,
उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

15/22

# MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

Between

THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE, GOVERNMENT OF INDIA

And

THE STATE GOVERNMENT / UT ADMINISTRATION OF ____

This MoU provides a framework of commitments by the State Government/UT administration for the conservation and management of Wetlands of International importance, also known as the Ramsar sites.

THIS AGREEMENT is made on this ________day of ___ (month), ___ (year) between the Government of India, through the MoEFCC,

and

The State Government/ UT Administration of through its ________ (Name of the Department).

1. Recognizing that Wetlands of International Importance form a part of the global network of wetlands which are important for the conservation of global biological diversity and for sustaining human life through the maintenance of their ecosystem components, processes and services.
2. Recognizing that designation of wetlands to the Ramsar Site network is an affirmation of a government's commitment towards 'maintenance of ecological character'.
3. Also, recognizing that management of Ramsar Sites can create a model for the implementation of the wise use concept for all wetlands.

NOW THE PARTIES WITNESS AS FOLLOWS:

The State Government / UT Administration shall endeavour to:

1. Designate nodal department and officer responsible for day-to-day site management, functioning under the aegis of the respective State / UT Wetlands Authority.
2. Notify the Ramsar sites under Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017,which includes:
   - Delineating the wetland boundary and zone of influence
   - Preparing a brief document in the format recommended under theguidelines for implementation of rules
   - Enlisting activities prohibited, regulated and permitted
   - Enforcement of extant regulation as per the mandate
3. Prepare/ update integrated management plan outlining specific actions for wetland wise use. The management plan should be prepared/ updated on the basis of diagnostic evaluation of wetland ecological character, and be sufficient to address any risks of adverse change.
4. Prepare Wetland Health Card and take all steps to maintain good health of the Wetland

16/22

5. Create a network of Wetland Mitras who voluntarily participate in well being of the wetland
6. Ensure the updation of Ramsar Information Sheet every 6 years.
7. Ensure regular monitoring to assess the risk of adverse change in ecological character
8. Promote awareness amongst stakeholders and local communities on the values and functions and factors contributing to the threat of the wetland, and engage them suitably and meaningfully in wetlands management.

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall endeavour to:

1. Keep the Site Manager informed of recent developments in tools and best practices for wetlands management
2. Conduct periodic capacity development programmes to upgrade the skills of site managers and those concerned with wetlands management.
3. Suitably support the implementation of management plans based on specific request from state government under the National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystems (NPCA) and other schemes based on the budget availability.
4. Maintain oversight on the condition of Ramsar site through the State Wetlands Authority.

SIGNATORIES

For Government of India, through Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest & Climate Change

Name & Designation

For State Government, through State Secretary of Nodal Department

Name & Designation

17/22

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्वनगर वन प्रभाग गौतमबुद्वनगर
पत्रॉक 1725/35-5 दिनॉक गौतमबुद्वनगर 21-9-2022।
सेवा में,

श्री सुरेश बाबू,
डब्लू0डब्लू0एफ0

विषयः— धनौरी वेटलैण्ड (ग्रेटर नोएडा उ0प्र0) को रामसर साईट घोषित किये जाने के संबंध में

संदर्भः— मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 17/26—11;न्ँ।द्व—27/2019 दिनांक 20—09—2022

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि धनौरी वेटलैण्ड को रामसर घोषित करने हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव को इस कार्यालय के पत्रांक 882/35—5 दिनांक 04—08—2022 द्वारा वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त मेरठ के माध्यम से उच्च स्तर को प्रेषित किया गया था। उक्त के कम में मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रस्ताव में कुछ कमिया/सूचना चाही गयी है।

अतः उक्त संदर्भित पत्र की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया लगायी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्वनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्वनगर।

18/22

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर।
पत्रॉक 3930 /35—5 दिनॉक गौतमबुद्धनगर 8 फरवरी, 2023।
सेवा मे,

वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी ,मेरठ वृत्त,मेरठ।

विषयः— धनौरी वेटलैण्ड (ग्रेटर नोएडा, उ0प्र0) को रामसर साईट घोषित किये जाने के संबंध में।

संदर्भः— 1. मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ की पत्र संख्या 17/26—11 (UPSWA)—27/2019 दिनांक 20—09—2022
2. मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ की पत्र संख्या 54/26—11 (UPSWA)—27/2019 दिनांक 02—02—2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। संदर्भित पत्र द्वारा धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साईट घोषित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसके कम में मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रस्ताव में आपत्ति कर पुनः प्रस्ताव उपलब्ध करानें हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे।

प्राप्त निर्देशो के अनुपालन में आपत्तियों का निराकरण कर धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साईट घोषित करने हेतु प्रस्ताव पुनः तैयार कर महोदय की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त प्रस्ताव को मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/ सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ को अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रेषित करने की कृपा करें। महोदय अनुमोदन प्राप्त होने पर प्रकरण को रामसर साईट पर लॉगिन किया जायेगा।

**संलग्नक—1. Cadasral Map**
**2. खसरा खतौनी की सूची**

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 3930 / दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ
2. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र मेरठ।

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 3930 / दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
2. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर/अध्यक्ष जिला वेटलैण्ड समिति।

0/C

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

B/22

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर।
पत्रॉक 6150/35–5 दिनॉक गौतमबुद्धनगर 5-4– मार्च, 2023।
सेवा मे,

वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी ,मेरठ वृत्त,मेरठ।

विषयः– धनौरी वेटलैण्ड (ग्रेटर नोएडा, उ0प्र0) को रामसर साईट घोषित किये जाने के संबंध में।
संदर्भः– 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि, लखनऊ का पत्रांक 17/26–11 (UPSWA)–27/2019 दिनांक 20–09–2022
2. इस कार्यालय का पत्रांक 5718/35–5 दिनांक 04–03–2023
3. आपके कार्यालय का पत्रांक 3860/14–1 दिनांक 22–03–2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। संदर्भित द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्न प्रकार महोदय की सेवा में प्रेषित हैः–

1. कैडस्टल मैप पर 1:4000 स्केल का पैमाना अंकित कर इस कार्यालय के पत्रांक 5718/35–5 दिनांक 04–03–2023 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।
2. प्रस्ताव के पैरा 3.1 के अन्तर्गत उद्धृत विवरण के समर्थन में अभिलेख संलग्न है।
3. प्रस्तावित वेटलैण्ड का एरिया 112.865 हेक्टेयर है।
4. पानी की जॉच रिपोर्ट संलग्न है।
5. इस कार्यालय के पत्रांक 5718/35–5 दिनांक 04–03–2023 द्वारा मानचित्र संलग्न कर प्रेषित कर दिया गया है।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण का पत्र दिनांक 08–09–2022 संलग्न है।
7. प्रश्नगत क्षेत्र यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में है। अतः इसका विकास यमुना प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित है।
8. उक्त की कार्यवाही उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि, लखनऊ के मार्ग दर्शन में सम्पादित की जायेगी।
9. वेटलैण्ड के इनलेटस/आउटलेटस मानचित्र पर अंकित कर मानचित्र संलग्न है।
10. प्रभागीय वनाधिकारी, नोएडा के स्थान पर प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर अंकित कर दिया गया है।
11. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा धनौरी वेटलैण्ड को पक्षी विहार घोषित करने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान नही की गयी है। अतः इसका प्रस्ताव प्रचलित नहीं है।

अतः प्रस्ताव महोदय की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपा प्रकरण को उच्च स्तर को संदर्भित करने की कृपा करें।

भवदीय

**संलग्नक–यथोपरि।**

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 6150 / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ
2. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र मेरठ।

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 6150 / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
2. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर/अध्यक्ष जिला वेटलैण्ड समिति।

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

# REGIONAL OFFICE
## U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
## E-12/1, SECTOR-1, NOIDA, GAUTAMBUDH NAGAR

**Analysis Report of Dhanauri Wetland (Surface Water)**

Collected by : Sri – Netra Pal Singh

| Sampling Point | Date | Colour | Odour | pH (6.5-8.5) | T.H mg/l | Calcium mg/l | Magnesium mg/l | Chloride mg/l (300) | T.D.S. mg/l (500) | Alkalinity mg/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahauri Wetland, eater Noida | 23-12-21 | Colorless | Odorless | 7.3 | 358.0 | 217.0 | [illegible] | 240.0 | 460.0 | [illegible] |

L.F.

11-01-2022
Assistant Environment Engineer

Regional Officer

21/22

# DHANAURI CATCHMENT

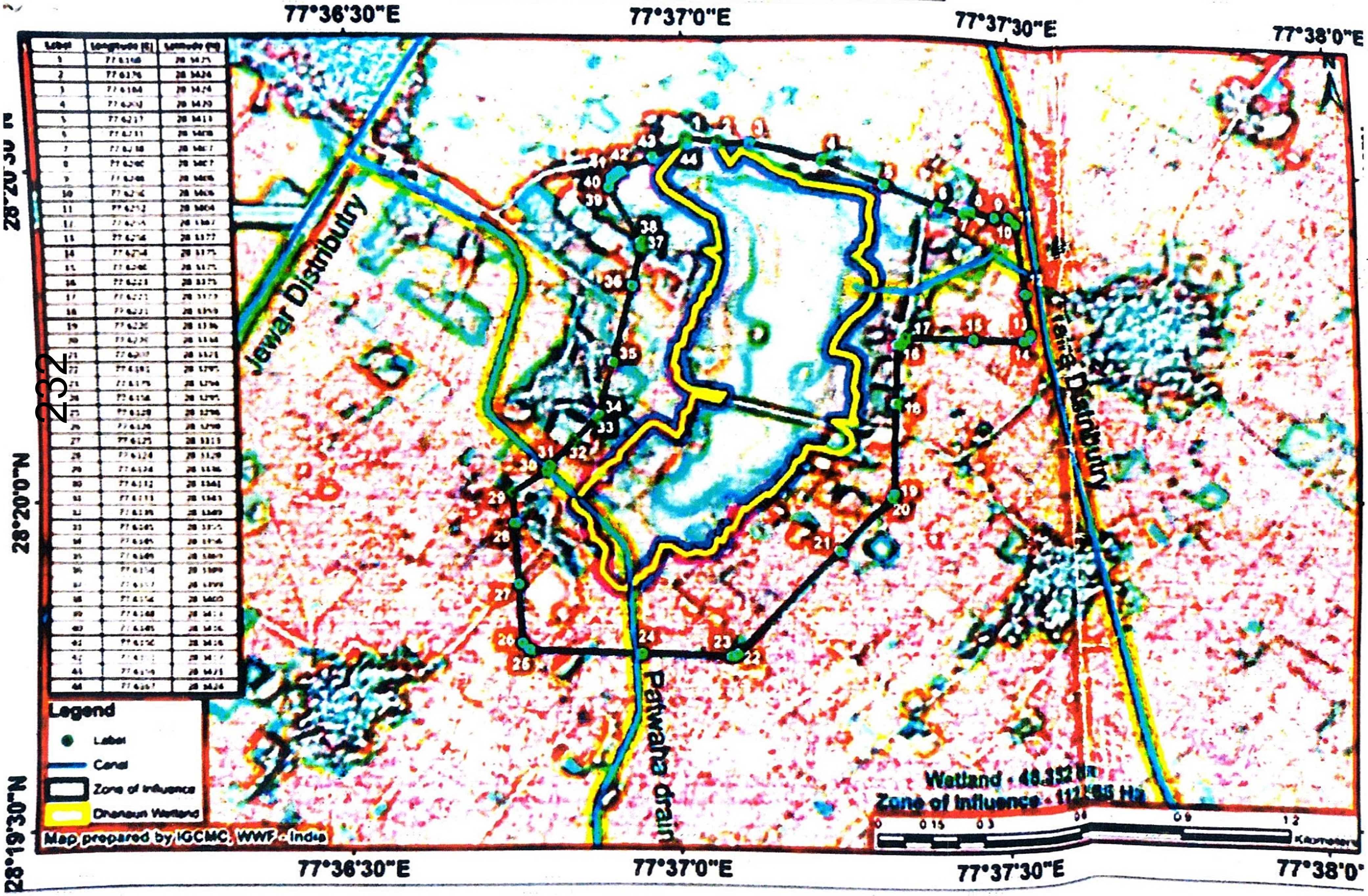

22/22

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर ।
पत्रॉक 1691 /14-1 दिनॉक गौतमबुद्धनगर, 16-10- 2023

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा।

18 OCT 2023
22616

विषयः— यमुना—एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सैक्टर—16 में स्थित धनौरी जल निकाय के संबंध में।

संदर्भः— आपके कार्यालय का पत्रांक वाई0ई0ए0 / 85 / 2022 दिनांक 08—09—2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। संदर्भित पत्र में आप द्वारा उल्लेख किया गया है कि ''परामर्शदाता तथा ड्राफ्ट महायोजना—2041 की रिपोर्ट उपलब्ध करयी गयी है जिसमें धनौरी जल निकाय का कुल क्षेत्रफल—46.35 हेक्टेयर दर्शायाा गया है तथा धनौरी जल निकाय के चारो तरफ बफर जोन के रूप में लगभग 66.54 हेक्टेयर एरिया (जल निकाय व बफर जोन एरिया 112.89 हेक्टेयर) प्रदर्शित किया गया है। कुल जल निकाय व बफर जोन एरिया 112.89 हेक्टेयर में से लगभग 25 हेक्टयेर भूमि प्राधिकरण की अधिग्रहित भूमि है।'' किन्तु शेष भूमि का आपके द्वारा अधिग्रहण नही किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि 25 हेक्टेयर से अतिरिक्त शेष भूमि का अधिग्रहण करने की कार्यवाही करने हेतु संबंधितो को निर्देशित करने की कृपा करें ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 630 / 2023 दिनांक 13—10—2023 आन्नद आर्या बनाम भारत सरकार व अन्य में पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके साथ धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साईट तथा वेटलैण्ड नोटिफाईड करने की कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

संलग्नक (2)

महत्वपूर्ण/ई–मेल

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव,उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्रसंख्या– 85/ A /26–11(UPSWA)-27/2019 लखनऊः दिनांकः 20, अक्टूबरः 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन,
अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

**विषयः–** यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर–16 में स्थित धनौरी जल निकाय के रामसर साइट घोषित किए जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

अवगत कराना है कि जनपद–गौतमबुद्धनगर (ग्रेटर नोएडा) के अन्तर्गत धनौरी जल निकाय, जो यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर–16 में स्थित है, को अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में चयनित कर प्रबंधन हेतु रामसर साइट घोषित करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर के पत्रांक–4944/355/गौतमबुद्धनगर, दिनांक 06.05.2022 द्वारा यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साइट/पक्षी विहार घोषित किए जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु की गई अपेक्षा के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा सिटी, जनपद–गौतमबुद्धनगर के पत्रांक–वाई.ई.ए./Plang/1177/2022, दिनांक 09.06.2022 के माध्यम से यह अवगत कराया गया था कि–

- धनौरी वेटलैण्ड के अन्तर्गत राजस्व ग्राम–धनौरी, ग्राम–ठसराना एवं ग्राम–अमीपुर की भूमि पड़ती है। प्रश्नगत वेटलैण्ड यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जनपद–गौतमबुद्धनगर व बुलन्दशहर के अधिसूचित क्षेत्र हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित महायोजना–2031 के सेक्टर–16 के अन्तर्गत पड़ता है। महायोजना–2031 के अनुसार धनौरी वेटलैण्ड का क्षेत्र 16.89 हे0 तथा इस वेटलैण्ड के चारो ओर लगभग 38.80 हे0 क्षेत्र ग्रीनबेल्ट के रूप में नियोजित है।
- उल्लेखनीय है कि महायोजना के अनुसार सेक्टर–16 का भू–उपयोग आवासीय, रिक्रिएशनल ग्रीन तथा ग्रीन/पार्क है। प्राधिकरण द्वारा सेक्टर–16 के आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत आवासीय भू–खण्डों का नियोजन कर स्कीम के माध्यम से भू–खण्डों का आवंटन किया जा चुका है।
- उक्त दशा में धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित किए जाने के कथित प्रस्ताव के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शायी गई धनौरी वेटलैण्ड की बाउण्ड्री को प्राधिकरण के सेक्टर–16 के ले–आउट से टेंटेटिव सुपर इम्पोज करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रस्तावित धनौरी वेटलैण्ड की बाउण्ड्री से सेक्टर–16 में नियोजित व आवंटित उपरोक्त आवासीय भू–खण्ड प्रभावित हो रहे हैं, जिस कारण उक्त स्थल को रामसर साइट हेतु दर्शित बाउण्ड्री के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रदान नही की जा सकती है।
- प्राधिकरण द्वारा परामर्शदाता संस्था MaRS Planning & Engineering Service Pvt. Ltd. द्वारा जनपद–गौतमबुद्धनगर व बुलन्दशहर के अधिसूचित क्षेत्र की महायोजना–2041 के तैयार किए जाने का उल्लेख करते हुए यह अवगत कराया गया है कि धनौरी वेटलैण्ड के संदर्भ में परामर्शदाता संस्था द्वारा धनौरी वेटलैण्ड का कुल क्षेत्रफल 46.35 हे0 तथा उक्त वेटलैण्ड के चारो तरफ बफर जोन के रूप में लगभग 66.54 हे0 एरिया (वेटलैण्ड व बफर जोन एरिया 112.89 हे0) प्रदर्शित किया गया है। उक्त क्षेत्रफल में से लगभग 25 हे0 भूमि प्राधिकरण की अधिगृहीत भूमि है, जिसके अधिग्रहण में प्राधिकरण द्वारा व्यय किया गया है। परामर्शदाता संस्था द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही कराने का उल्लेख किया गया है।

उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से धनौरी वेटलैण्ड में प्राधिकरण द्वारा परामर्शदाता संस्था MaRS Planning & Engineering Service Pvt. Ltd. द्वारा जनपद–गौतमबुद्धनगर व बुलन्दशहर के अधिसूचित क्षेत्र की महायोजना–2041 के निमित्त तैयार की जा रही योजना के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्राधिकरण के द्वारा अधिगृहीत भूमि का उल्लेख करते हुए धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही कराए जाने की स्पष्ट संस्तुति नही दी गई है।

अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में क्षेत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित ग्रामवार, भूमिवार, स्टेक होल्डरवार भूमि की स्थिति निम्नानुसार है:-

| क्रमांक | ग्राम का नाम | निजी भूमि (हे0 में) | ग्राम सभा/ सामुदायिक भूमि (हे0 में) | यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भूमि (हे0 में) | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अमीपुर बांगर | 31.3710 | 2.1570 | – | 33.528 |
| 2 | ठसराना | 38.471 | 8.813 | – | 47.284 |
| | ठसराना नवीन परती जदीद | – | 3.1330 | – | 3.1330 |
| 3 | धनौरी | 3.949 | 1.1425 | 23.8535 | 28.945 |
| | योग | 73.791 | 15.2455 | 23.8535 | 112.89 |

- उपरोक्त भूमि यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि से आच्छादित है, परन्तु प्रश्नगत वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित कराए जाने के सम्बन्ध में यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा न ही कोई स्पष्ट अनापत्ति दी गई है और न ही इस सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रश्नगत धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साइट कराए जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव ही प्रस्तुत किया गया है।

  ***इस सम्बन्ध में प्रश्नगत वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित करने के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि उक्त वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित किया जाना है अथवा नही?***

- प्रश्नगत वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित कराए जाने की स्थिति में यह भी निर्णय लिया जाना होगा कि किस विभाग/स्टेकहोल्डर द्वारा इसका प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जाएगी। उचित होगा कि प्रश्नगत प्रकरण में धनौरी वेटलैण्ड में यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्टेकहोल्डर के रूप में महत्तम भूमि सम्मिलित है। अतः धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित कराने हेतु प्रस्तावक विभाग के रूप में नामित करने पर विचार किया जा सकता है।
- तदोपरान्त धनौरी वेटलैण्ड के समेकित प्रबंधन के लिए राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग/यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित ग्रामसभाओं/समस्त स्टेकहोल्डर्स के साथ प्रस्तावक विभाग के नेतृत्व में संयुक्त बैठक कराकर बैठक में लिए गए निर्णय की स्थिति के अनुसार प्रश्नगत वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना विधिसम्मत एवं समीचीन होगा।

अतएव अनुरोध है कि धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित कराने हेतु प्रस्तावक विभाग की स्थिति स्पष्ट कराने की कृपा करें, ताकि रामसर साइट घोषित कराने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा RSIS को Compile कराकर रामसर डेजिगनेशन वेबसाइट पर कम्पाइलिंग एजेन्सी द्वारा Prescribed Formate में प्रस्ताव Compile कर मानचित्र सहित प्रस्ताव अपलोड करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वेटलैण्ड डिवीजन, भारत सरकार से प्रस्तावक विभाग को ऑनलाइन अकाउंट खोलने हेतु यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड निर्गत कराने हेतु अनुरोध किया जा सके।

<u>संलग्नक:– उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(नीरज कुमार)
मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्रसंख्याः– 05/A/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया विषयक प्रकरण में यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अधिगृहीत भूमि से आच्छादित धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित कराए जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा सिटी, जनपद–गौतमबुद्धनगर द्वारा दी गई आख्या के क्रम में प्रश्नगत वेटलैण्ड में आच्छादित क्षेत्र की भौमिक स्थिति का विधिसम्मत आंकलन कराकर निर्विवाद होने की दशा में स्पष्ट सहमति एवं प्रश्नगत वेटलैण्ड को रामसर साइट घोषित कराने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रदान करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा सिटी, जनपद–गौतमबुद्धनगर को निर्देशित करने पर विचार करना चाहें।

(नीरज कुमार)
मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्रसंख्याः– 05/A/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी क्षेत्र, मेरठ।
2. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला आर्द्रभूमि समिति, जनपद–गौतमबुद्धनगर।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा सिटी, जनपद–गौतमबुद्धनगर।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गौतमबुद्धनगर।

(नीरज कुमार)
मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

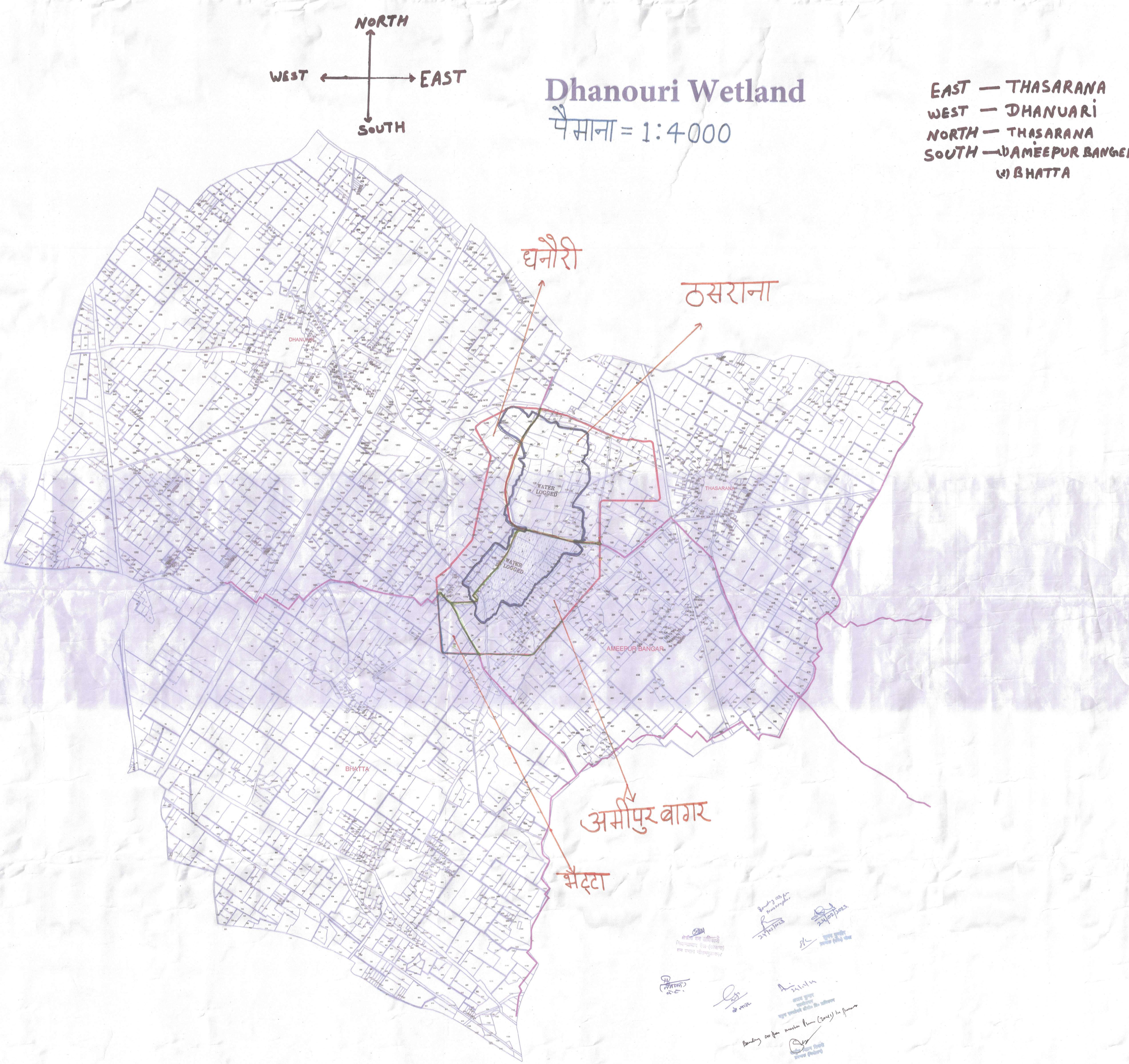
NORTH
WEST
EAST
SOUTH
Dhanouri Wetland
पैमाना = 1:4000
EAST — THASARANA
WEST — DHANUARI
NORTH — THASARANA
SOUTH — (i) AMEEPUR BANGER
(ii) BHATTA
धनौरी
ठसराना
DHANAURI
THASARANA
WATER LOGGED
WATER LOGGED
AMEEPUR BANGAR
BHATTA
अमीपुर बांगर
भैट्टा